अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, साहेबगंज।

राजस्व विविध वाद सं0 05/2023–24

अपीलार्थी – मो0 बिलाल अंसारी (वगैरह)

–बनाम–

उत्तरवादी – जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज, वगैरह

आदेश फलक

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित
1	2	3
12.03.2025	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा दिनांक–13.06.2023 को उपायुक्त, साहेबगंज को समर्पित आवेदन को उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, साहेबगंज के प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, साहेबगंज के पत्रांक–519/विधि, दिनांक–19.06.2023 द्वारा अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज को पृष्ठांकित करते हुए सुनवाई हेतु उपलब्ध करायी गई। अपीलार्थी 1. मो0 बिलाल अंसारी 2. मो0 शाह आलम दोनों पिता–मरहूम जुलफन अंसारी, साकिन–रामपुर करारा, पोस्ट–सकरीगली, जिला–साहेबगंज, 3. मो0–सलाउद्दीन मियाँ, पिता–मरहूम जुलफन मियाँ, साकिन+पोस्ट–नारायणपुर, थाना–बाराहाट (इशीपुर), जिला–भागलपुर (बिहार), 4. रूकसाना खातुन, पिता–महरूम इस्माईल, साकिन–सुकरबाजार, पोस्ट–सकरीगली, जिला–साहेबगंज एवं 5. जोहरा, पति–मकसूद, साकिन–श्रीनगर, रिफतपुर, पो0–नारायणपुर, थाना–बाराहाट (इशीपुर), जिला–भागलपुर (बिहार) द्वारा मौजा–रामपुर करारा नं0–03, खाता सं0/जमाबंदी नं0–22 का रकवा–01–06–01 धूर जमीन के खतियानी रैयत जुलफन मियाँ के नाम से खतियान में दर्ज है। जो इस्माईल जमीन है। उक्त जमीन का अधिग्रहण समदानाला स्थित बंदरगाह निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि पर 26 आम का पेड़ के मुआवजा भुगतान को लेकर अपीलार्थी द्वारा लगाया गया है। वाद को पंजीकृत कर न्यायालय अन्तर्गत अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0–05/2023–24 के आलोक में उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिश निर्गत किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्व अधिवक्ता के द्वारा लिखित जबाब–सह–कारणपृच्छा दाखिल किया गया। मौजा–रामपुर करारा के जमाबंदी नं0–22 के दाग नं0–09, रकवा–02–12–01 धूर जमीन में से आधा हिस्सा 01–06–10 धूरकी का मुआवजा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज से कुल 7,11,419.00 (सात लाख ग्यारह हजार चार सौ उन्नीस) रूपये मात्र प्राप्त किया गया, परन्तु उक्त जमीन पर लगे 26 आम का पेड़ का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। 26 आम के पेड़ का कुल मुआवजा लेने के लिए अपील दाखिल किया गया है, परन्तु 26 आम के पेड़ का कुल मुआवजा 10,40,000.00 (दस लाख चालीस हजार) रूपये मात्र है। सरकारी नोटिश में कुल 8,01,544.20 (आठ लाख एक हजार पाँच सौ चौवालीस) रूपये एवं बीस पैसा दर्शाया गया है। जो गलत निर्धारण किया गया है। 26 आम के पेड़ का 07 हिस्सा में बँटवारा होना चाहिए परन्तु यह केवल 05 व्यक्तियों को हिस्सेदार है, जो 26 आम के पेड़ का बँटवारा चाहते है। अतः अनुरोध है कि पाँचों अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए 26 आम के पेड़ों की कुल राशि को 07 (सात) बराबर हिस्सेदार में भुगतान कराने हेतु अनुरोध किया है। न्यायालय के पत्रांक–100/डी0बी0, दिनांक–09.09.2023, पत्रांक–471/रा0, दिनांक–22.06.	

Scanned with OKEN Scanner

2024 एवं पत्रांक–47/रा0, दिनांक–18.12.2024 द्वारा वर्णित तथ्यों के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक–254/भू0अ0, दिनांक–25.02.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समदानाला स्थित बंदरगाह निर्माण के लिए मौजा–रामपुर करारा के जमाबंदी नं0–22, दाग नं0–09 का रकवा–02–12–01 धूर अधिग्रहित भूमि पर स्थित पेड़ का मुआवजा भुगतान मद में 8,10,544.20 (आठ लाख दस हजार पाँच सौ चौवालीस) रूपये एवं बीस पैसा की राशि यथावत भुगतान हेतु लंबित है। उक्त मुआवजा भुगतान हेतु विधिवत् रूप से रैयत द्वारा कागजात समर्पित करने पर नियमानुसार भुगतान की जा सकती है।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल जबाब एवं कागजातों का अवलोकन करने एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि मौजा–रामपुर करारा के जमाबंदी नं0–22, दाग नं0–09 का कुल करवा–02–12–01 धूर जमीन का खतियानी रैयत जुलफन मियाँ के नाम से खतियान में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि इस्माईल है। उक्त भूमि का अधिग्रहण समदानाला स्थित बंदरगाह निर्माण के लिए लिया गया है। अधिग्रहित भूमि पर 26 आम का पेड़ के मुआवजा राशि का बराबर हिस्से को लेकर लाया गया है।

तमाम् स्थितियों एवं परिस्थतियों पर विचारोपरांत पाया जाता है कि मौजा–रामपुर करारा के जमाबंदी नं0–22, दाग नं0–09 का कुल रकवा–02–12–01 धूर जमीन इस्माईल है, जिसे समदानाला स्थित बंदरगाह निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहित भूमि पर आम का पेड़ है, जिसका मुआवजा भुगतान लंबित है, जिसे बराबर हिस्सेदारों के बीच भुगतान करने का दावा उचित प्रतीत होता है।

आदेश की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

Bhagawan 12/3/25

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Bhagawan 12/3/25

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Digitally signed by Gautam Kumar Bhagat
Date: 2025.06.17 16:28:21 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner